राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.10 (724) परि/स.सु./स.स.सु.कोष/2015/32778 जयपुर, दिनांक 03/04/17

कार्यालय आदेश ...8.../2017

राज्य में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं, घायलों एवं मृतकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने से राज्य सरकार को अमूल्य मानव संसाधनों के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः राज्य सड़क सुरक्षा नीति के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं, घायलों एवं मृतकों की संख्या में कमी लाने के उददेश्य से व सड़क सुरक्षा के विभिन्न उपायों के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के लिए वर्ष 2011 में गठित स्टेट रोड सेफ्टी फंड का अधिक्रमण करते हुए एक पृथक, नियमित एवं पर्याप्त **समर्पित सड़क सुरक्षा कोष** (Dedicated Road Safety Fund) का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस फंड के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी करती है :–

समर्पित सड़क सुरक्षा कोष दिशा निर्देश, 2017

1. **नाम** :– यह दिशा निर्देश समर्पित सड़क सुरक्षा कोष दिशा निर्देश, 2016 कहलाएंगे।
2. **प्रभावशीलता** :– यह दिशा निर्देश राजकीय गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
3. **परिभाषाएं** :–
   1) 'कोष' से तात्पर्य समर्पित सड़क सुरक्षा कोष, 2016 से है।
   2) 'राज्य सरकार' से आशय राजस्थान सरकार से है।
   3) 'नोडल विभाग' से तात्पर्य परिवहन विभाग, राजस्थान से है।
   4) 'हित धारक विभाग' से तात्पर्य राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधी अन्य हितधारक विभागों यथा पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग इत्यादि से है।
   5) 'लीड एजेन्सी' से तात्पर्य परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में स्थापित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसमें अन्य हितधारक विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं, से है।
4. **कोष के गठन के उद्देश्य**
   1) राज्य में सड़क दुर्घटनाओं/मृतकों/घायलों की संख्या में कमी लाने हेतु समुचित प्रयासों/गतिविधियों की लागत वहन करना
   2) राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजना का सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन कराना
   3) सड़क सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेन्सी (जिसमें समस्त हितधारक विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं) एवं अन्य संस्थागत ढांचे का सुदृढीकरण
   4) सड़क सुरक्षा हेतु संरचनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण
   5) राज्य की सड़क परिवहन प्रणाली को सुरक्षित बनाना।
5. **कोष के आय के स्रोत**
   1) प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम/नियम के अन्तर्गत संग्रहित प्रशमन एवं जुर्माना राशि की 25 प्रतिशत तक राशि
   2) कोष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, ऋण एवं अग्रिम राशि

3) कोष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ऋण एवं अग्रिम राशि
4) अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त सहयोग राशि अथवा अन्य राशि
5) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत प्राप्त राशि
6) अन्य स्रोत जिन्हें समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाए

6. नोडल विभाग

1) कोष के प्रबंधन एवं संचालन के लिए परिवहन विभाग उत्तरदायी होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव इस फण्ड के नोडल अधिकारी होंगे।
2) इस कोष का उपयोग समस्त हितधारक विभागों/एजेन्सीज के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा।

7. कार्यकारी अभिकरण (Implementing agencies)

1) परिवहन विभाग
2) पुलिस विभाग
3) सार्वजनिक निर्माण विभाग
4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5) स्वायत्त शासन विभाग
6) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
7) शिक्षा विभाग
8) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (RSRDCC)
9) रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड (RIDCOR)
10) उक्त के अतिरिक्त किसी योजना विशेष के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर संचालन समिति की स्वीकृति से किसी अन्य राजकीय विभाग या राजकीय उपक्रम/संस्था को भी कार्यकारी अभिकरण बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में योजना विशेष के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्था उत्तरदायी होंगे।

8. संचालन समिति :–

1) इस कोष की धनराशि के उपयोग हेतु अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में संचालन समिति होगी जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

i.	परिवहन आयुक्त	सदस्य
ii.	अति. महानिदेशक, पुलिस, यातायात	सदस्य
iii.	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
iv.	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
v.	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	शिक्षा विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	गृह विभाग द्वारा मनोनीत उप सचिव से अनिम्न स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
x.	अपर/संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त, सड़क सुरक्षा, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव

2) समिति के कार्य :–

i. कोष के उददे्श्यों की प्राप्ति के क्रम में विभिन्न विभागों/हितधारकों द्वारा तैयार किए गए प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, योजनाओं एवं गतिविधियों को कोष से राशि उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदित करना एवं संबंधितों के माध्यम से क्रियान्विति कराना।

ii. हितधारक विभागों/एजेन्सीज द्वारा क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित अन्तराल पर समीक्षा करना।

iii. कोष के उददे्श्यों की प्राप्ति हेतु परिवहन विभाग में स्थापित लीड एजेन्सी के माध्यम से हितधारक विभागों की समन्वित वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार कराकर उनका क्रियान्वयन कराना।

iv. राज्य सड़क सुरक्षा नीति के प्रावधानों की प्रभावी क्रियान्विति कराना।

9. कोष का उपयोग :–

कोष की धन राशि से निम्नलिखित मदों पर व्यय अनुमत होगा :–

1) क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण कार्यक्रम)
2) सड़क सुरक्षा ऑडिट (पूर्व निर्मित एवं नवीन सड़कों पर)
3) सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक अनुसंधान, पुनर्संरचना एवं विश्लेषण
4) इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम
5) सुदृढ़ प्रवर्तन प्रणाली का विकास
6) सड़क सुरक्षा संबंधी उपकरणों का क्रय एवं रख रखाव
7) विभिन्न स्तर की सडक सुरक्षा समितियों की बैठकों इत्यादि पर व्यय
8) गैर मोटर चालित वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाना
9) गुड सेमेरिटन गाइडलाईन्स का व्यापक प्रचार प्रसार एवं गुड सेमेरिटन्स को प्रोत्साहित करने हेतु अवॉर्ड पर व्यय/ गुड सेमेरिटन प्रैक्टिसेज़ का प्रोत्साहन
10) विभिन्न लक्ष्य समूहों हेतु सडक सुरक्षा शिक्षा एवं जन जागृति कार्यक्रम
11) यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था
12) सडक सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास
13) रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम
14) ब्लैक स्पॉट्स का चिन्हीकरण, दुरूस्तीकरण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था
15) ट्रॉमा एवं इमरजेंसी केयर व्यवस्था
16) ट्रैफिक सर्वे
17) लीड एजेंसी के प्रशासनिक व्यय
18) सड़क सुरक्षा अवॉर्ड
19) पार्किंग व्यवस्था का संचालन एवं विकास
20) मास मीडिया कैम्पेन/प्रचार प्रसार सामग्री
21) पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास संबंधी गतिविधियां
22) सड़क सुरक्षा हेतु संरचनात्मक गतिविधियां यथा ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक, आई एण्ड सी सेन्टर, प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण इत्यादि
23) हितधारक विभागों/एजेन्सीज/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियां
24) सड़क/फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना, चालक की दृष्टि अवरोधक चिन्हों को हटाकर गतिरोध दूर करना इत्यादि।

25) देश/विदेश में प्रशिक्षण, सेमीनार, वर्कशॉप, बैठकों एवं नवाचार के अध्ययन हेतु हितधारक विभागों के अधिकारियों के भाग लेने हेतु व्यय

26) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी) के सामान्य कार्मिकों के वेतन, यात्रा/दैनिक भत्ता तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का वेतन भुगतान कोष की प्रबंधन समिति के अनुमोदनोपरांत कोष से किया जा सकेगा।

27) सड़क सुरक्षा से संबंधित अध्ययन/तकनीकी रिपोर्ट/कन्सलटेंसी इत्यादि पर व्यय

28) सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन पर व्यय

29) संरचनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण

30) माननीय सर्वोच्च न्यायालय समिति के अन्य दिशानिर्देश एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां

10. संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु परिवहन मुख्यालय स्तर पर क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :–

1) परिवहन आयुक्त	अध्यक्ष
2) वित्तीय सलाहकार	सदस्य
3) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)	सदस्य
4) अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.)	सदस्य
5) अपर/संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, क्रियान्वयन समिति द्वारा मासिक आधार पर कार्यों की क्रियान्विति समीक्षा रिपोर्ट एवं कोष के उपयोग का विस्तृत विवरण संचालन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर संचालन समिति द्वारा कोष का संचालन किया जाएगा।

11. कोष का लेखा :–

समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के गठन हेतु लोक निधि खाता, बजट शीर्ष 8229 विकास तथा कल्याण निधि 200 – अन्य विकास तथा कल्याण निधि (12) समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के अन्तर्गत खोला जाएगा तथा इस कोष में निम्नांकित बजट मद में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा :–

2041 – वाहन कर
797 – अन्य आरक्षित निधियाँ
(01) – राज्य सड़क सुरक्षा निधि
82 – निधि को अन्तरण

वित्त विभाग से लोक निधि खाता खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से जारी किए जाएंगें।

12. कोष के उपयोग की प्रक्रिया :–

1) वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (अप्रेल माह) में गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम/नियम के अंतर्गत संग्रहित प्रशमन एवं जुर्माना राशि की 25 प्रतिशत राशि का हस्तांतरण समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में किया जाएगा।

2) विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सीज/संस्थाओं से प्राप्त सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों, जिसमे उनकी बजट उपलब्धता की स्थिति स्पष्ट होगी एवं वित्तीय एवं तकनीकी विवरण संलग्न होंगे, पर परीक्षण उपरान्त स्वीकृति जारी की जाऐगी। स्वीकृति जारी करने

से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग के नियमित बजट में प्रावधान उपलब्ध है अथवा नहीं।

3) यदि कोई गतिविधि पहले से हितधारक विभाग/एजेन्सी अथवा योजना के अन्तर्गत संचालित है तो ऐसी गतिविधि हेतु अलग से लेखा शीर्षों में बजट प्रावधान नहीं रखा जाएगा एवं यदि बजट प्रावधान पहले से उपलब्ध हो तो उसे यथा समय समर्पित किया जाएगा।
4) कार्यकारी विभाग/संस्थाओं द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य की स्वीकृति मिलने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृति के अनुसार कार्यकारी विभाग/संस्थाओं से कार्य पूर्ण होने की रिपार्ट एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) कार्य समाप्त होने के तीन माह के अन्दर आयुक्त, परिवहन विभाग को प्रेषित किया जावेगा।
5) स्वीकृति आदेश में यह उल्लेख होगा कि इस राशि से बनी परिसम्पत्तियां (assets) संबंधित विभाग की संपत्ति होगी और उनके संधारण/रखरखाव के लिए राशि संबंधित विभाग के विभागीय बजट से ही व्यय की जा सकेगी।
6) ऐसे कार्य जो अन्य विभागों/एजेन्सीज के नियमित बजट में प्रावधित है, उनके लिए इस फण्ड से राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।
7) उपकरण इत्यादि के क्रय संबंधी गतिविधियां संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

13. कार्य/योजनाएं/प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की शक्तियाँ (Schedule of Powers) दिशा निर्देशों में उल्लेखित उददेश्यों हेतु संचालन समिति द्वारा निम्नानुसार स्वीकृतियां दी जा सकेंगी :–

1) राजस्व प्रकृति के व्यय हेतु
2) रूपये 10.00 करोड़ से अधिक लागत के पूंजीगत कार्य संचालन समिति की अनुशंषा पर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त स्वीकृति किए जाएंगे।
3) राजकीय उपक्रमों एवं निकायों को अंश–पूँजी सहायता संचालन समिति की अनुशंषा पर, वित्त विभाग की सहमति उपरान्त दी जाएगी।
4) निधि के उददेश्यों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग/विभागीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबन्ध के आधार पर विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

उल्लेखित उददेश्यों की पूर्ति आवश्यक कार्य/योजनाएं/परियोजनाएं जिनके लिए इन नियमों के अन्तर्गत निधि से राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है उनसे संबंधित समस्त प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति उपरान्त ही स्वीकृत किए जा सकेंगे।

14. **अंकेक्षण :–**

उक्त कोष का प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, राजस्थान/निदेशक/निरीक्षण विभाग, राजस्थान द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा एवं इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प.10 (724) परि/स.सु./स.सु.कोष/2015/32779-818 जयपुर, दिनांक 03/04/17

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव (बी.सी.), माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जुयपर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
7. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जुयपर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार, जुयपर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
14. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात, राजस्थान, जुयपर।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
16. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
17. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम जयपुर।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, राजस्थान सरकार, जुयपर।
19. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
21. निजी सचिव, पुलिस उपायुक्त, यातायात, जयपुर।
22. समस्त अधिकारी, परिवहन मुख्यालय।
23. जन सम्पर्क अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
24. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
25. निजी सचिव, मुख्य अभियंता (सड़क), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
26. मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, एन.एच.ए.आई, एफ–120, जनपथ, श्यामनगर, जयपुर।
27. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज (ऑटो मोबाईल इंजिनियर), जयपुर।
28. निदेशक, सेंटर फॉर रोड़ सेफ्टी, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर, कैम्पस– एस–7, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
29. चार पहिया मोटर वाहन निर्माता एसोसिएशन ।
30. दुपहिया मोटर वाहन निर्माता एसोसिएशन ।
31. चार पहिया मोटर वाहन डीलर्स एसोसिएशन ।
32. दुपहिया मोटर वाहन डीलर्स एसोसिएशन ।
33. ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन।
34. स्टेट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
35. कॉन्ट्रेक्ट कैरिज ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
36. टैक्सी/ऑटो ऑपरेटर्स एसोसिएशन।
37. सम्भाग स्तर से सडक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाऐं।
38. मैनेजिंग ट्रस्टी, सहायता संस्था, 297, तरूछाया नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
39. मैनेजिंग ट्रस्टी, मुस्कान संस्था, 45, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई, अजमेर रोड़, जयपुर।
40. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (स.सु.)